SHRI C. P. NARAYANAN (Kerala): Sir, it is not his fault that his Bill is listed for today.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have to examine. I am nobody to comment on that point of whose fault it is. So I am helpless. Shri C.P. Narayanan, I told you, if the rule permits...(*Interruptions*)...

SHRI K. K. RAGESH (Kerala): Sir, what will happen to this Bill now?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I said, 'if the rule permits, it will be alive'.

The Pathological Laboratories and Clinics (Regulation and Control) Bill, 2010

श्री विजय जवाहरलाल दर्डा (महाराष्ट्र): महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि विकृति-विज्ञान प्रयोगशालाओं और क्लिनिकों को किसी समुचित प्राधिकरण में पंजीकरण अनिवार्य करके तथा कोई विकृति-विज्ञान प्रयोगशाला अथवा क्लिनिक खोलने के लिए मानदण्डों तथा मानकों को विहित करके विनियमन और नियंत्रण किए जाने तथा तत्संसक्त और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।

माननीय उपसभापति महोदय, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं कि आज मुझे इस सदन में देश के स्वास्थ्य से संबंधित अत्यन्त महत्वपूर्ण निजी विधेयक को पेश करने का मौका मिला है। यों तो बहुत ही rare occasions होते हैं जब निजी विधेयक कानून का रूप ले ले, लेकिन कम से कम हम सदस्यगण देश के महत्वपूर्ण विषयों पर अपनी सरकार के सामने दस्तक दे सकते हैं, दरवाजे खटखटा सकते हैं और मंत्री जी से आग्रह कर सकते हैं। माननीय मंत्री जी यहां हैं और मुझे विश्वास है कि वे इस विषय पर मेरी और सदन की आवाज को जरूर तरजीह देंगे और गम्भीरता से लेंगे।

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY) *in the Chair.*]

मैं साहिर लुधियानवी के उस शेर की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं—

"कुछ और बढ़ गए हैं अंधेरे तो क्या हुआ
मायूस तो नहीं हैं, तुलु-ए-सेहर से हम
माना कि इस जमीं को गुलज़ार न कर सके
कुछ खार तो कम कर गए, गुजरे जिधर से हम"

माननीय उपसभापति महोदय, pathological प्रयोगशालाएं, स्वास्थ्य सेवाओं में सबसे अधिक महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। Allopathic System में किसी भी तरह के रोग के उपचार और पहचान के लिए यह प्रथम कड़ी होती है। आज देश में स्वास्थ्य सेवाओं को नियंत्रित करने के लिए और उन्हें regular करने के लिए तमाम Councils हैं। जैसे कि Medical Council of India, आयुर्वेद एवं यूनानी आदि के लिए Council, Dental Council और Nursing Council आदि बनी हुई हैं तथा उनके लिए अनेक legislations और regulations पार्लियामेंट में पास हुए हैं, लेकिन

[श्री विजय जवाहरलाल दर्डा]

Pathological प्रयोगशाला के बारे में तथा उनकी क्वालिटी के बारे में अभी तक कुछ नहीं हुआ है कि वे कैसी होनी चाहिए और उनकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए और उन्हें संचालित करने वाले लोग कौन हैं तथा उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। इसके बारे में कोई भी समुचित कानून नहीं बना है, जिसे पूरे देश में एक समान रूप से लागू किया जा सके। देश के कुछ प्रदेशों में इस संबंध में अभी कुछ दिशानिर्देश जारी किए गए हैं, लेकिन उन Guidelines का ढंग से पालन नहीं हो रहा है।

माननीय उपसभापति महोदय, प्रस्तुत विधेयक का उद्देश्य Pathological प्रयोगशालाओं और क्लीनिकों को किसी समुचित अथॉरिटी में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर के तथा कोई Pathological प्रयोगशाला अथवा क्लीनिक खोलने के लिए मापदंडों और मानकों का निर्धारण करके उनका रेगुलेशन और कंट्रोल किए जाने के संबंध में उपायों का प्रबन्ध करने के संबंध में है। पिछले दो दशकों से Indian health care industry के काम में काफी बढ़ोतरी हुई है। India Brand Equity Foundation के अनुमान के अनुसार यह सैक्टर 17 फीसदी के हिसाब से बढ़ते हुए सन् 2020 तक 280 बिलियन डॉलर का हो जाएगा। Private health care का हिस्सा health care में 72 फीसदी है। पिछले दो दशकों में diagnostic market में 20 फीसदी की दर से वृद्धि हुई है। वर्ष 2012 से लेकर वर्ष 2020 तक यह मार्केट लगभग 32 बिलियन डॉलर की हो जाएगी। देश में लगभग 1 लाख diagnostic laboratories हैं, जिनमें से 70 परसेंट pathological labs हैं। इन लैब्स और diagnostic centers की स्थापना में अभी तमाम corporate तथा organized sectors के लोग लगे हुए हैं, लेकिन लगभग 92 परसेंट लैब्स unauthorized sector में हैं। जो लैब्स organized sector या बड़े healthcare system के माध्यम से establish हो रहे हैं, उन लैब्स का accreditation हो रहा है, लेकिन जो लैब्स unauthorized sector के अन्दर काम कर रहे हैं, ऐसे 92 परसेंट लैब्स किसी भी तरह से regulate नहीं किए जा रहे हैं। एक अमेरिकन एजेंसी के अनुसार सिर्फ 1 फीसदी लैब्स WHO accredited हैं। अगर हम हमारे देश के स्वास्थ्य की स्थिति को देखें तो ये लैब्स अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और हर चीज़ के अंदर laboratories का बहुत अहम हिस्सा है।

केंद्र ने 'The Clinical Establishment Act' 2011 में पास किया था जिसमें लैब्स तथा सम्पूर्ण healthcare को regulagte करने की बात की थी, लेकिन आज पांच साल होने के बावजूद इस एक्ट को लागू नहीं किया गया है। स्टेट के लिए voluntary होने के कारण इसके प्रावधानों को अभी तक ठीक से लागू नहीं किया गया है। इस एक्ट के तहत सारी healthcare facilities को रजिस्टर करवाना था तथा यह देखना था कि इसके अंतर्गत minimum standards of facilities और सेवाएं हैं या नहीं। इसके साथ ही हर establishment अपने यहां मिलने वाली सुविधाएं, जैसे treatment तथा लैब्स आदि के बारे में तथा इनके रेट्स के बारे में जानकारी देगा, लेकिन इसकी कोई व्यवस्था नहीं है और अभी तक न तो अस्पताल अपने यहां इस तरह की जानकारी दे रहे हैं और न ही ट्रीटमेंट से लेकर diagnostic centers और pathological labs के लिए रेट्स तय किए गए हैं, इसकी कोई रेटिंग नहीं है। इस तरह से मरीज़ों को ठगा जा रहा है। हर pathological lab के अंदर test का शुल्क अलग-अलग है। इसमें इतना variation होता है कि बीमार व्यक्ति को समझ में ही नहीं आता कि किस लैब में test कराया जाए। इसके अतिरिक्त इसकी reliability

कितनी है, वह भी नहीं पता होता। उदाहरण के तौर पर MRI का शुल्क 1,000 रूपए से लेकर 6,000 रूपए तक है। इन सारे लैब्स के standard और practices में काफी अंतर है।

इस समय pathological labs और diagnostic centers, 'Shops and Establishment Act' के अन्तर्गत स्थापित किए जा रहे हैं। ये प्रयोगशालाएं हमारे स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं, फिर भी सरकार इन्हें सामान्य दुकानों और establishment की श्रेणी में रखती है। इसके लिए न तो कोई standard है और न ही कोई norms हैं। इस समय जो pathological labs और diagnostic centers चल रहे हैं, उनकी स्थिति बहुत भयंकर है।

सबसे खेदजनक और चिंता की बात यह है कि diagnostic centers और pathological labs को shops और अन्य सामान्य establishment की तरह ट्रीट किया जा रहा है। इसी वजह से इन प्रयोगशालाओं में unqualified professional proxy signatories होते हैं तथा इनमें sub-standard equipments होते हैं जिनकी वजह से कई बार गलत रिज़ल्ट्स आाते हैं। पूरे महाराष्ट्र में एक अनुमान के अनुसार सिर्फ 1,500 practicing MD Pathologists हैं। कभी यह संख्या कम होती है और कभी ज्यादा हो जाती है। नागपुर जैसे बड़े शहर में 15 के आसपास practicing pathologists हैं, जो MD हैं। मुम्बई और ठाणे को छोड़कर पूरे देश में सिर्फ 850 के आसपास practicing pathologists MD हैं जिससे यह सिद्ध होता है कि पूरे देश में qualified pathologists की कितनी कमी है। एक अनुमान के मुताबिक डिप्लोमाधारी pathologists की संख्या 10,000 से भी ज्यादा है जो कि पूरी रिपोर्ट तैयार करके अक्सर proxy signature करते हैं, जो कि गैर-कानूनी है। सैम्पल कलेक्शन से लेकर सैम्पल ट्रांसपोर्ट, रजिस्ट्रेशन आदि टैस्ट के पहले के ऐसे स्टेप्स हैं, अगर सैम्पल ठीक से correct नहीं हुआ या पहुंचा तो रिजल्ट्स के गलत होने की संभावनाएं रहती हैं। इसीलिए सैम्पल कलेक्शन से लेकर रिपोर्ट डिलिवरी तक में highest standard की जरूरत होती है। अगर Pathologist qualified नहीं है, तो रिजल्ट भी कभी ठीक नहीं हो सकता, यह हम सब जानते हैं।

हमारे समाचार-पत्रों में अक्सर खबरें छपती हैं और ऐसे मरीजों का जिक्र होता है कि जिनकी रिपोर्ट Pathological labs गलत दे देते हैं। मलाड, मुम्बई में एक ऐसा ही किस्सा हुआ, जिसमें वहीं की एक labs ने किसी की गलत HIV+report दे दी। देश में कई labs ऐसे हैं, जो कि गलत रिपोर्टस के लिए notorious हैं। महाराष्ट्र के जलगांव में ऐसे कुछ सेंटर्स को बंद किया गया था। इंडस्ट्री के एक्सपटर्स का मानना है कि अगर भारत को हैल्थकेयर में एक मुकाम हासिल करना है, तो सरकार को सबसे पहले Clinical Establishment Act को लागू करना होगा। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बिल को पास हुए पांच साल हो गए, लेकिन देश के स्वास्थ्य से जुड़े हुए इस विधेयक को लागू क्यों नहीं किया गया? इसके पीछे वास्तव में कौन-सी कठिनाई है या industry का pressure है? क्या वजह है कि देश के clinical establishments इसके प्रावधानों का पालन करने में असमर्थ हैं? इसी की वजह से देश के करोड़ों लोगों को लाखों करोड़ रूपये का चूना लग रहा है और साथ ही साथ उसकी हैल्थ के साथ खिलवाड़ हो रहा है। भारत के diagnostic laboratories और विदेशों में इस उद्योग में काफी अन्तर है। अभी विकसित देशों में प्रयोगशालाओं का registration आवश्यक है। बिना registration और certification के कोई प्रयोगशाला शुरू नहीं हो सकती है। ब्राजील जैसे देश में भी 90 फीसदी से ज्यादा यह industry well organized है।

[श्री विजय जवाहरलाल दर्डा]

हाल के वर्षों में देखा गया है कि देश में प्रयोगशालाओं की संख्या काफी बढ़ी है तथा आज की तारीख में इनकी संख्या लाखों में है। इनके पंजीकरण का कोई प्रावधान नहीं है और न ही इसके बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोई गणना कराई है, जिससे पता चल सके कि समूचे या अलग-अलग प्रदेशों में या शहरों में कितनी प्रयोगशालाएं काम कर रही हैं। इसकी वजह से छोटे-छोटे शहरों और गांव-देहातों में ये प्रयोगशालाएं मिल जाएंगी, जो कि किसी समुचित builiding में न होकर कहीं motor garage में, कहीं टेन्टों में, तो कहीं छोटे-छोटे कमरों या झोपड़-पट्टियों में खुली हैं। इन प्रयोगशालाओं में न तो कोई trained technician होता है, न कोई डॉक्टर होता है और न ही सही प्रकार के उपकरण होते हैं, जिनसे आप टैस्ट करवा सकें।

इन प्रयोगशालाओं में blood sample इकट्ठा करने का तरीका बेहद खतरनाक होता है। देखा यह गया है कि एक सिरिंज से कई लोगों का blood लिया जाता है और यह सिरिंज भी दूषित होती है, इसके इस्तेमाल से दूसरे मरीजों की सेहत पर भी असर होता है। इसकी जानकारी न तो डॉक्टर को होती है और तथाकथित टेक्नीशियन, जो कि इस blood sample को लेता है, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, एक बार सरकार ने कुछ साल पहले Good Laboratory Practices के norms लगाकर देश की तीन महत्वपूर्ण प्रयोगशालाओं को बंद कराया था। ये प्रयोगशालाएं vaccines बनाती थीं। इसके पश्चात् देश में vaccines की काफी कमी हो गई थी तथा हमें दूसरे देशों से vaccines मंगानी पड़ी थीं। यह मामला संसद में कई बार उठा था। जब सरकार Good Laboratory Practices के norms पर अपनी प्रयोगशालाएं बंद करवा सकती है, तो इन फर्जी और unhealthy conditions में चलने वाली प्रयोगशालाओं को क्यों चलने दिया जा रहा है? हमारे यहां की pharma industry विश्व की सबसे बड़ी pharma industry है। हमें लोगों ने Switzerland में कहा कि आप अपने यहां अच्छे pathology labs क्यों स्थापित नहीं कर पा रहे हैं? हम लोगों के लिए यह बहुत ही शर्म की बात है कि तमाम स्वास्थ्य योजनाओं में अच्छी और qualitative pathology labs स्थापित करने का कोई प्रावधान नहीं है। मंत्री जी, यह हमारे देश के स्वास्थ्य से जुड़ी मूलभूत आवश्यकता है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, देश के कई भागों में देखा गया है कि वहां पर ये प्रयोगशालाएं लोगों ने सरकारी डॉक्टरों की सांठगांठ से सरकारी अस्पतालों के आस-पास ही खोल रखी हैं। सरकारी डॉक्टर एक अलग पर्ची लिखकर उस प्रयोगशाला में टैस्ट के लिए recommend करते हैं तथा प्रयोगशालाओं के लोग इन डॉक्टरों को कमीशन देते हैं। यह बहुत बड़ा रैकेट है, जिसका कई बार महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार और गोवा में बीते दिनों में भंड़ाफोड़ हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी इन घटिया और फर्जी प्रयोगशालाओं को न तो बंद किया जा रहा है और न ही ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्रवाई हुई है।

देश में आए दिन मलेरिया, डेंगू तथा तरह-तरह के injections से बीमारियां होती रहती हैं। ऐसी स्थिति में evidence-based treatment की सख्त जरूरत होती है। सही evidence न मिलने से मरीजों को सही ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है। इसका सबसे ज्यादा शिकार गांव-देहातों के लोग

होते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है कि उन्हें किस तरह से tests कराने होते हैं तथा ये लोग फर्जी डॉक्टरों तथा इस तरह की प्रयोगशालाओं के शिकार होते हैं।

हमारे यहां एक National Accreditation Board for Testing Calibration Laboratories (NABL) के नाम की संस्था है, जो labs को पंजीकृत करने का काम करती है। यहां पर registration पूरी तरह से voluntary है। इसकी वजह से कोई भी registration करना वाजिब नहीं समझता है। देश के शहरों में लगभग एक लाख Pathological labs काम कर रही हैं, लेकिन accreditation के लिए सिर्फ 400 प्रयोगशालाओं ने अभी तक एप्लाई किया है। इस संदर्भ में अगर दूसरे देशों को देखा जाए, तो वहां बिना accreditation के कोई भी laboratory यूज़ नहीं कर सकता और न ही वहां पर वह चल सकती है। ऐसा करने वालों पर भारी जुर्माने के साथ-साथ कड़ी सजा का भी प्रावधान किया गया है, लेकिन हमारे देश में हैल्थ के साथ खिलवाड़ हो रहा है और पांच साल पूर्व बिल आने के बावजूद भी अभी तक वह कार्यान्वित नहीं हुआ है, यह बड़े खेद की बात है। मुझे विश्वास है कि मंत्री महोदय काफी सेंसेटिव हैं और आप इस ओर अवश्य ध्यान देंगे।

उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां यह बीमारी सिर्फ इसी बात तक सीमित नहीं है कि तमाम प्रयोगशालाएं diagnostic centres या clinic बिना किसी proper structure, बिना प्रशिक्षित रोग विज्ञानियों के अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में चल रहे हैं। सच तो यह है कि शहरों में जो प्रयोगशालाएं या diagnostic centres हैं, वे दूसरे तरीकों से consumers को परेशान कर रहे हैं। कभी भी कोई डॉक्टर या consultant कोई pathology, radiology, X-ray, MRI वगैरह का टैस्ट लिखता है, तो वह पेशेंट को labs का नाम भी दे देता है और कहता है कि आप इस lab में जाइए और इस consultant से मिलिए। इन consultants/doctors को 40 से लेकर 60 फीसदी तक कमीशन मिलता है। मैंने सुना है कि मुम्बई के कई इलाकों में काफी डॉक्टर्स इस ढंग से कमा रहे हैं और उनकी कमाई प्रैक्टिस से ज्यादा कमीशन से होती है। कुछ ऐसे टैस्ट होते हैं, जिनकी जरूरत नहीं होती है, लेकिन कमीशन के लिए डॉक्टर लोग prescribe कर देते हैं। इन tests को sink test कहते हैं। इन टैस्ट को pathology वाले लोग समझते हैं और ये टैस्ट होते ही नहीं हैं तथा सैम्पल को फेंक दिया जाता है और मरीजों को बिल दे दिया जाता है और उसके अंदर डॉक्टर अपना कमीशन ले लेता है। मरीज़ इन सब चीजों से अनजान होता है। उसको कोई जानकारी नहीं होती है और वह इनकी मनमानियों का शिकार बन जाता है।

एक और issue जो इस हाउस में बार-बार उठाया जाता रहा है, वह unauthorised diagonistic labs का है। आज पूरे देश में लड़कियों का अनुपात लगातार गिर रहा है, जिसके लिए लिंग परीक्षण जिम्मेदार है, जो कि इस तरह की प्रयोगशालाओं में किए जा रहे हैं। हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश जहां पर अभी तक स्वास्थ्य की मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंची हैं, वहां पर mobile ultrasound machines पहुंच गई हैं। वहां डॉक्टर लिंग परीक्षण करने के बार अगर लकड़ी है, तो abortion करा देते हैं। इसके बारे में देश में कानून भी बना है, लेकिन कानून पर अमल नहीं हो रहा है और न ही सख्ती से कार्रवाई हो रही है। मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि इस कानून के तहत कम से कम फर्जी diagnostic labs पर तो कार्रवाई की जा सकती है, वरना देश में गायब हो रही लड़कियों की संख्या में लगातार वृद्धि होती रहेगी। माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक के माध्यम सरकार से अनुरोध करूंगा कि सरकार Pathological प्रयोगशालाओं

[श्री विजय जवाहरलाल दर्डा]

के बारे में जल्दी से जल्दी सख्त norms बनाए तथा उन्हें लागू करे। सरकार एक बहुत अच्छा Nation Rural Health Mission चला रही है। इस मिशन के माध्यम से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रयोगशालाएं स्थापित की जा रही हैं। छत्तीसगढ़, विदर्भ व नागपुर के एरिया में sickle-cell जैसी बीमारियां हैं तथा tribal क्षेत्रों में तमाम तरह की बीमारियां फैली हैं, जिनका उपचार सही प्रयोगशालाओं के बिना असंभव है। मैंने bill में अनुरोध किया है कि एक Authority बनाई जाए तथा इसके तहत देश में स्थापित होने वाली सारी प्रयोगशालाओं को register किया जाए तथा फर्जी और unhealthy conditions में चलने वाली प्रयोगशालाओं पर सख्त कार्रवाई की जाए। यह देश के स्वास्थ्य से जुड़ा प्रश्न है। अगर देश का स्वास्थ्य ठीक होगा, तो उसका भविष्य भी ठीक होगा। माननीय मंत्री जी ने pregnant महिलाओं की सुविधा के लिए काफी कदम उठाए हैं। मैं आशा करता हूं कि आाप हमारे बिल का समर्थन करके, इसे पूर्ण रूप से कानून का रूप देंगे तथा देश के स्वास्थ्य की जो जिम्मेदारी आपने ली है, उसको निभाएंगे।

The question was proposed.

SHRI SHANTARAM NAIK (Goa): Sir, I stand here to support the Bill introduced by my friend and colleague, Shri Vijay Darda. I have no objection to any of the provisions of the Bill except to the fact that he wants that the Headquarters of this lab should be in Nagpur. My contention is, why in Nagpur alone? Why not in any other State? Why in Nagpur alone?

SHRI VIJAY JAWAHARLAL DARDA: Sir, I already said about Goa. I said about Punjab.

SHRI SHANTARAM NAIK: You said that it should be in Nagpur.

SHRI VIJAY JAWAHARLAL DARDA: No, no, I said 'in Goa'. I said about Punjab, I said about Bihar. I think, when I was in Nagpur, you were in Goa.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY): It is all right. Whether it is Goa or Nagpur, it is all right.

SHRI SHANTARAM NAIK: The question is, today, doctors normally do not prescribe medicine even for common cold unless they send a patient to laboratories for various tests. This is the reality. Sometimes, they may give one or two tablets for immediate relief but most of the time even when common cold occurs, doctors refer patients to laboratories of their choice. Now, the point is whether there is any way by which you can prevent such unscrupulous act on behalf of doctors. See, this is a very questionable thing. It is not that easy to ask a doctor not to refer. Then, he will say, 'who is going to take risk?'. There will be all these questions. Therefore, counselling is required. In medical conferences that are being held from

4.00 P.M.

time-to-time, counselling is required and advice is required. In earlier times, people, just by looking into the pulse, used to determine what type of disease you had and, therefore, this aspect has to be considered, although I would not say that doctors should not insist on medical tests in every case. This is now all the more required in view of diseases like Dengue and others because in these cases a patient comes with fever and fever is something which may be caused by various types of viruses. So, no medical practitioner would like to take risk with his patient who has come with fever or temperature. Therefore, it is possible that in areas where people are affected by Dengue doctors may be taking extra precautions. There may be rare cases where doctors are aware that a particular State or a district has a high incidence of Dengue fever. I can understand that, but it does not happen in all cases. I would like to know whether the Government, the Ministry of Health, carries out timely inspections and raids on pathological labs. Vijay Darda*ji* referred to the fact that there are thousands of labs without proper facilities and located in dingy places all over the country. I want to know whether you have got any figures to show where the State Governments or the Central Government have conducted raids on such labs, for the safety of the patients who come there for a blood test. This is very essential. You need to do it on a war footing. Maybe, you would have to take the help of the State Governments in this respect. You have to do it because unless they are aware that raids are going to take place, they will not set up their labs in a clean and proper surrounding. Again, even if the Ministry of Health or the State Governments had done it, there is no doubt that there would have been hundreds of cases of criminal negligence and other such offences. Will you please tell us how many cases of negligence and malpractices have been registered against pathologists, who were found to have been carrying out tests without following the norms or illegally, or where labs have not been registered? This is very important. And if there are no such figures, or the figures are very low, then it is a very serious matter and this aspect needs to be considered very seriously by you.

Secondly, in many district headquarters in various States, samples are sent by air, or other means of transport, to bigger cities for getting them tested and later, they are received by the main doctor. In such cases, the time-lag is very important. If the time-lag is big, what is the guarantee that the sample has been tested on time? So, we must have some method to ensure that samples are sent properly and tested on time, so that there are no malpractices or incorrect figures as far as the result of tests are concerned. Nowadays, they follow a good practice; in important labs, they convey the results of the tests through Internet or online. That gives you immediate results, but there is no way of knowing whether it has been tested on time or not. Here is

[Shri Shantaram Naik]

an appeal to you, and you have done it in the past I suppose,: Whenever deadly diseases, of the kind that occur during famine, take place, the unscrupulous owners of lab charge a very high fee. In such a scenario, I feel that you have stepped in at an appropriate time. There is an absolute need to see to it that the rates charged for tests are properly monitored and patients are not irresponsibly charged a heavy fee by the lab owners. This should be a continuous process. In poor families, when such things happen, the patients die even before any test is carried out. Now the question is that there is an authority which Darda*ji* has recommended. I think there is a need to have a legislation of this type with proper notification by which this regulatory body should be established with proper offices in every State, possibly in some important districts, in the country. You can also subsidize these labs in the beginning because people may not be coming forward for the purpose. I would suggest that cleanliness of these labs should be the first priority. We have got enough labs in the country. Even if those labs are maintained properly with cleanliness and requirement of registration is obtained from them, to start with, we will have a proper mechanism and machinery for the purpose. Thereafter, you can think of a legislation and further action. If proper steps are taken, this thing can be achieved. With these words, I once again congratulate my friend, Mr. Darda*ji*, for introducing this legislation. It was the sheer luck of Mr. Darda that two other Bills could not be taken up and this Bill of Darda*ji* was taken up by the House. Thank you.

SHRI BHUPINDER SINGH (Odisha): Thank you, Vice-Chairman, Sir. As you know that in a welfare State it is the duty of the Government to see that every life is important. Human life is very much important and every individual is the property of the State till he passes away. It is very timely and I must thank and congratulate my colleague, Darda*ji*, that he has brought this Bill to this House. It is a Private Member's Bill, but history has its record that till 1972 Private Member's Bill, either in this House or in the Lok Sabha, had been accepted by the Government unanimously and the whole House unanimously adopted that. Now the time has changed, but the House remains the same and the Members are elected in the same way. Members coming to the House, both here and in the Lok Sabha, are very educated Members. I feel honoured the other day, as a Member, when we had passed one Private Member's Bill of Mr. Siva in the last Session. सर, जो हमारे मान्यवर स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, इनकी कोशिश है और दिल से ये चाहते हैं कि देश में स्वास्थ्य की सेवा सब लोगों को कैसे ठीक तरह से पहुंचे। यहां यह भी बात है, आप भी जानते हैं, हम लोग सुनते आ रहे हैं, मैं यहां पर किसी सरकार के उपर कोई आक्षेप लगाकर बात नहीं करना चाहता और न यहां कोई पोलिटिकल बात करने का मुद्दा है। यह स्वास्थ्य से रिलेटेड मुद्दा है और

चूंकि स्वास्थ्य से रिलेटेड है, इसलिए यह एक मानवीय कर्त्तव्य भी है। आज जो लोग डॉक्टर हैं, मैं उनसे भी इस हाउस के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा देश मानवीयता का एक देश है, यहां मानव को सबसे ज्यादा सम्मान मिलता है। कम से कम वे जो भी ट्रीटमेंट करते हैं, जो भी डायग्नोस्टिक सेंटर्स खोले हैं या पैथोलॉजिकल सेंटर्स खोले हैं, पहली बात तो अभी तक हमें यह भी पता नहीं चली है कि उनमें से कितने अनऑथोराइज्ड हैं? नागपुर, मुम्बई, विदर्भ, झारखंड और दूसरी स्टेट्स की बात तो छोड़िए, दिल्ली के अन्दर ही जो अल्ट्रासाउंड की मशीनें हैं, जिनके लाइसेंस का दो साल के बाद रिन्युअल होना चाहिए, वह नहीं हुआ है। मुझे विश्वास है कि मंत्री जी की नज़र में भी यह आया होगा, चूंकि सभी नेशनल न्यूजपेपर्स की हेडलाइन्स में इसका जिक्र आया था। जहां तक मुझे जानकारी है, जो Clinical Establishment Act है, उसके तहत भारत सरकार या यूनियन गवर्नमेंट का इसके ऊपर ज्यादा कंट्रोल नहीं है। हम चाहते हैं कि यूनियन गवर्नमेंट के पास इसकी अथॉरिटी रहे। इसके लिए एक regulatory authority बनाई जाए, जैसे इस देश के अन्दर जो real estate है, आज तक उसका कोई भी मां-बाप नहीं है, वे जो चाहते हैं, वही करते हैं। उनको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। क्या Government of India के पास, मिनिस्ट्री के पास इससे सम्बन्धित कुछ ताकत है या नहीं? कम से कम इस सेशन के अन्दर दिल्ली और मुम्बई के अन्दर या जितनी मेट्रो सिटीज़ हैं, pathological centres के ऊपर Government of India का कंट्रोल हो जाए। ऐसे-ऐसे pathological centres खुले हुए हैं, जिनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है। किसी तरीके से और उन्होंने सिर्फ एक दुकान खोलकर रख दी है कि आपका ब्लड वहां से लिया जाएगा और उसको दूसरी जगह भेज दिया जाएगा, जहां से वह टेस्ट होकर आएगा। मैंने ultrasound machine की बात इसलिए उठाई है, क्योंकि जिन्होंने यह बिल मूव किया है, विजय जी ने भी यह बात कही है और आप भी जानते हैं कि ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री सुखेन्दु शेखर राय): एक सेकेन्ड। हमारे पास जो लिस्ट है, उसके मुताबिक आपका समय खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी अगर आप कुछ सुझाव देना चाहते हो, तो दो मिनट में बुलेट प्वाइंट्स में अपने सुझाव दे दीजिए।

श्री भूपिंदर सिंह: मैं यही चाहूंगा कि कम से कम जितनी जल्दी हो सके यह अथॉरिटी बन जानी चाहिए और इसके ऊपर Government of India का कंट्रोल होना चाहिए। आजकल दुकानों में pathology के जो भी instruments या chemicals मिलने लग गए हैं, जिनसे आज हम घर बैठे जो blood test कर लेते हैं और यहां पर भी लॉबी के बार निकल कर साथ ही साथ टेस्ट करवा लेते हैं, उनमें 5% या 10% का डिफरेंस तो आता ही है। Government of India के पास इतनी authority तो है ही कि हम लोग जो टैस्ट करवाते हैं, blood pressure की मशीनें यूज़ की जा रही हैं, वे किस कम्पनी की हैं। कम से कम लोगों को इतना अवश्य मालूम होना चाहिए कि किस-किस कम्पनी को इसकी manufacturing का सर्टिफिकेट मिला हुआ है या कौन सी कम्पनी authentic है।

जहां तक ultrasound या दूसरे pathological centres का सवाल है, उनमें से जिनका renewal नहीं हुआ है, मेरा निवेदन है कि कम से कम हाउस को और पूरे देश को इसकी जानकारी अवश्य होनी चाहिए। ऐसे सेंटर्स के ऊपर कुछ नज़र रखी जानी चाहिए, उनको scot-free नहीं छोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि यह किसी की लाइफ का सवाल है। Pathological tests के आधार

[श्री भूपिंदर सिंह]

पर ही आदमी दूसरे टैस्ट्स करवाता है। मान लीजिए अगर किसी ने biopsy test करवाया है, आपने देखा होगा कि कई बार वह wrongly diagnose होकर आ जाता है कि आपको कैंसर है। वह व्यक्ति आधा तो वहीं पर खत्म हो जाता है। अगर उनमें से किसी के पास हिम्मत होती है, तो वह देहात से मुम्बई या दिल्ली तक पहुंचता है और वहां जाकर उसे पता चलता है कि this report is totally wrong and he is not a patient of cancer. ...(**समय की घंटी**)... ऐसी जो घटनाएं घट रही हैं, उनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? मैं उम्मीद करूंगा कि मंत्री जी इसे ऊपर ध्यान देंगे। आज विजय जी यह प्राइवेट मेम्बर्स बिल लाए हैं। सरकार अपनी तरफ से इसको लाए और जो बिल यहां पास हुआ था, उसको भी इम्प्लीमेंट करे, उसको भी लाकर उसको रेग्युलेट करे, जिसके तहत कम से कम ऊपर कोई एक कार्यवाही हो सकेगी, धन्यवाद।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री जगत प्रकाश नड्डा): महोदय, अभी माननीय विजय दर्डा जी ने Pathological Laboratrories and Clinics (Regulation and Control) Bill, 2010 को हाउस के सामने रखा है। उस पर बहुत अच्छी चर्चा हुई है। शान्ताराम नायक जी ने भी चर्चा की, भूपिंदर जी ने भी चर्चा की। चर्चा में जो एक बात सामने आई वह यह कि laboratories की जो testing facilities और laboratories से संबंधित उनके रजिस्ट्रेशन और उनके सारे विषयों के बारे में चिंता जताई गई है, मैं उनकी चिंता को जायज मानता हूं और उस चिंता को सरकार संवेदनशील तरीके से देख रही है और प्रयासरत है तथा जो उन्होंने इश्यूज उठाए हैं, they are relevant issues, which need to be addressed. मैं एक बात ध्यान में लाना चाहता हूं कि 2010 में जब इस बिल को दर्डा जी ने रखे हैं, जिन ऑब्जेक्ट्स को लेकर उन्होंने बिल बनाया था, उसमें एक तो इफेक्टिव लॉ बने, जो laboratories को कंट्रोल कर सके और laboratories की working और testing facilities के बारे में मापदंड बन सके, इसका standardization हो, उसकी चैकिंग हो, उसकी मॉनिटिरंग हो और इफेक्टिवली हम laboratories की वर्किंग को मॉनिटर कर सकें, यह उसका उद्देश्य था। दूसरा था कि ये जो diagnostics में क्या स्टैंडर्ड रखते हैं, कौन इसका diagnosis करेगा, कौन उसकी रिपोर्ट देगा, इसके बारे में 2010 में सच में ऐसी स्थिति थी जब इसके बारे में कुछ भी ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं था। तो यह ऑब्जेक्ट उन्होंने रखा। जब उन्होंने रखा तो उसी समय सरकार ने 2010 में, जो 2011 में बन करके आया और उसमें जिन कंसर्नस को रखा है, उन कंसर्नस को address किया। जैसे जो सरकार का Act है, it says, "Unless the context otherwise requires, 'authority' means the District Registration Authority set up under section 10" So, registration की फैसिलिटी के बारे में कहा गया है। 'Certificate' means certificate of registration issued under section 30. तो रजिस्ट्रेशन की भी बात हुई और सर्टिफिकेशन की भी बात हुई। और सबसे महत्वपूर्ण विषय था 'Clinical Establishment' जिसके बारे में आपने pathological establishments and laboratories की बात की, उसके बारे में कहा गया, 'Clinical Establishment' means "a hospital, maternity home, nursing home, dispensary, clinic, sanatorium or an institution by whatever name called that offers services, facilities requiring diagnosis, treatment or care for illness, injury, deformity, abnormality or pregnancy in any recognized system of medicine established and administered or maintained by any person or body of persons, whether incorporated

or not." So, they also defined the 'clinical establishment', and, secondly, it says, "a place established as an independent entity or part of an establishment referred to in sub-clause (i) in connection with the diagnosis or treatment of diseases where pathological, bacteriological, genetic, radiological, chemical, biological investigations or other diagnostic or investigative services with the aid of laboratory or other medical equipment, are usually carried on, established and administered or maintained by any person or body of persons, whether incorporated or not." यानी, आपने जो अपना कंर्सन ऑब्जेक्ट्स में रखा था, Clinical Establishment Act, 2010 में उसको आत्मसात कर लिया गया It has become an Act. जो आप कह रहे हैं, वे सारी चीजें एक्ट के रूप में आ चुकी हैं, कानून के रूप आ चुकी हैं। उसी तरीके से आपने कहा कि इसको govern करने के लिए क्या सिस्टम है? There will be a National Council. The National Council shall compile and publish the national registry of clinical establishments within two years from the date of commencement of this Act, develop the minimum standards and period review. So, develop the minimum standards and period review हो, इस बात को कहा गया। इस एक्ट के लिए चार स्टेट्स की तरफ से रिक्वेस्ट आई। क्लिनिकल एक्ट बना, क्लिनिकल एक्ट बनने के बाद इसको 10 स्टेट्स ने लागू किया। यूनियन टेरिटरीज़ में दिल्ली को छोड़ कर बाकी सबने इसको लागू किया। पहली बात तो यह है कि जो आपकी मंशा, जो आपकी इच्छा, जो आपके कहने की बात है, उसको सरकार एक्ट के रूप में black and white में पहले ही ला चुकी है। That is now in force and it has come in ten States.

दूसरी बात यह है कि कुछ इश्यूज़ ऐसे हैं, जिनको आपने भी रखा तथा अन्य माननीय सदस्यों ने भी रखा। उनमें एक है, National Council for Clinical Establishments at the Central level, इसको डीजीएचएस मॉनिटर करती है। उसी तरीके से State Council of Clinical Establishments are headed by the State Health Secretary और यह जहां-जहां लागू हुआ है, वहीं पर है। जहां लागू नहीं हुआ है, वहां नहीं है। आपने कहा कि वह नागपुर हो, गोवा हो, पंजाब हो, आपने सभी के बारे में कहा, वह हमने जो District Registration Authority, chaired by District Magistrate है, उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही कर दिया है। You need not have any head office. हमें नेशनल लेवल पर उसकी information मिलती है। State Secretary उसको रजिस्टर करते हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल से उसको registration मिलता है। Each district has a District Registration Authority. So, this is not required. एक बात यह बतानी थी। यह कहा गया कि हम raid करें। हम सेंट्रल लेवल पर raid नहीं कर सकते हैं। Health is a State Subject. We can assist them; we can ask them to do. The implementation part is with the States and the States have to do it. आपके सेंटिमेंट्स के लिए इसको कैसे किया जा सकता है और कैसे enforce किया जा सकता है, इस पर हम विचार कर सकते हैं कि how we can make it more effective. इसके मेज़र्स क्या हो सकते हैं, क्योंकि यह concern बहुत genuine है? इसको करने की जरूरत है। उसी तरीके से रजिस्टेशन के बारे में section 14 of Chapter IV में बताया गया है कि कैसे इसका रजिस्टेशन होगा। क्वालिफिकेशन के बारे में भी minimum standard for clinical establishment भी डिफाइन्ड है। यह Clinical Establishments Act के तहत कवर होता है। इसको वेबासाइट पर दिखाया गया है।

[श्री जगत प्रकाश नड्डा]

मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि हमारी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा स्टेट्स इसको adopt करे। कल भी स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक होने वाली है, उसमें भी मैं इस विषय को रखने वाला हूँ। Adopt तो उनको करना पड़ेगा और forceful enforcement उनको करना पड़ेगा। I fully share the sentiments of my friends, and this is a very important concern. Methodology क्या हो सकती है, so that we see to it that the States go for it. स्टेट्स इसको adopt करे, इसके लिए हम प्रयासरत रहेंगे।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि चूंकि हमारा Clinical Establishments Act बन गया है, जो आपकी सारी चीजें हैं, रिजस्ट्रेशन का विषय, standardisation का विषय, मॉनिटरिंग का विषय, authority का विषय, ये सारे इसमें कवर होते हैं। जो कानून बनना था, जिसके लिए आपने रिक्वेस्ट की है, वह कानून बन चुका है और उसके implementation का पार्ट स्टेट्स के पास है। 10 स्टेट्स ने इसको implement किया है, यूनियन टेरिटरीज़ में दिल्ली को छोड़कर सबने इसको implement किया है। दिल्ली वालों से भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसको आप जल्दी-से-जल्दी लागू करें। मैं इसके लिए सबसे रिक्वेस्ट करूंगा और इसके लिए सबसे बातचीत भी करूंगा। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा और इसके लिए सबसे बातचीत भी करूंगाा मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि चूंकि यह एक्ट बन चुका है, जो उनकी मंशा है, उसको सरकार ने पूरा कर दिया है, इसलिए इसको अगर ये वापस लेंगे, तो अच्छा रहेगा।

श्री भूपिंदर सिंहः वाइस चेयरमैन सर, आप जानते हैं कि देश की स्थिति कैसी है, इसलिए मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जहां पर सब-डिविज़नल हॉस्पिटल्स हैं या ब्लॉक लेवल पर जहां अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, वहां पर एनआरएचएम के तहत या किसी अन्य स्कीम के तहत कम से कम अल्ट्रासाउंड की सुविधा शुरू करवाइए।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुखेन्दु शेखर राय): दर्डा जी, आप क्या करना चाहते हैं? Are you withdrawing the Bill?

श्री विजय जवाहरलाल दर्डाः सम्माननीय मंत्री जी, आपने काफी हद तक मेरा समाधान किया और वर्ष 2010 में मैंने जो 'The Pathological Laboratories and Clinical (Regulation and Control) Bill' introduce किया था, उसका काफी हद तक कानून आपने बना लिया है, जिसके माध्यम से आपने पूरे देश के अंदर Good Laboratories Practices के नॉर्म्स लागू कर दिए हैं।

आपके वक्तव्य से एक बात मेरे ध्यान में यह आई है कि आपने कानून तो बना दिया है, लेकिन राज्य इसको सही ढंग से इम्प्लिमेंट नहीं कर रहे हैं। मैं आपको परेशान करने के लिए या मिनिस्ट्री को परेशान करने के लिए यह नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप यह मानेंगे कि आपका या मेरा, किसी का भी भाई हो सकता है, बहन हो सकती है या माँ हो सकती है। आज यह बात सत्य है कि लेबोरेटरीज़ और लैब्स कितने महत्वपूर्ण हैं। आप देखिए कि जो National Accreditation Board for Testing Calibrations Laboratories (NABL) है, उसे भारत सरकार ने स्थापित किया हुआ है। पूरे देश में लगभग एक लाख पैथोलॉजिकल लेबोरेटरीज़ चल रही हैं, जिनमें से केवल 400 ने accreditation के लिए अप्लाई किया है। इसी से आप समझ सकते हैं

कि हालात कितने गम्भीर हैं। इसी प्रकार, स्विट्जरलैंड या अमेरिका ने — हमारा देश वर्ष 2020 तक पूरी दुनिया में हेल्थकेयर में करीब ढाई सौ बिलियन डॉलर अर्जित करने वाला देश बनने जा रहा है। मेरी आपसे एक ही दरख्वास्त है। मुझे आपकी sincerity पर फख्र है और मैं यह जानता हूँ कि आप कितने सम्वेदनशील हैं, किन्तु यह विषय बहुत गम्भीर है और पूरे देश के स्वास्थ्य के साथ जुड़ा हुआ है, इसिलए मैं आपसे विनम्रतापूर्वक एक ही निवेदन करना चाहूँगा। मैं यह जानता हूँ कि यह स्टेट सब्जेक्ट है, मगर बिना सेंटर के स्टेट भी कुछ नहीं कर पाता है। अब आप देखिए कि दिल्ली ने इसे अभी तक लागू नहीं किया है। ऐसे कई राज्य हैं। आप स्वयं यह जानते हैं कि लिंग-परीक्षण के नाम पर पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश में क्या-क्या हो रहा है। यह सभी जगहों पर हो रहा है और इससे बच्चियों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। मेरा आपसे एक ही नम्र निवेदन है कि आप कृपा करके उन सब लोगों पर इसके लिए जोर दें और इसको resist करवाएँ। फर्जी झोलाछाप डॉक्टर्स, जो लेबोरेटरीज़ साइकिल पर रख लेते हैं और गाँव-गाँव में घूमते हैं, टेंटों में चलाते हैं, उनके लिए सख्त कानून होने चाहिए। आप प्रधानमंत्री जी से कहिए, कैबिनेट सेक्रेटरी से कहिए, हेल्थ सेक्रेटरी से कहिए और ड्रग कंट्रोलर से कहिए कि उनके लिए सख्त से सख्त सज़ा हो। हमारे गांव में रहने वाला जो व्यक्ति है, जो कि पढ़ा-लिखा नहीं है, उसके बारे में आप स्वयं जानते हैं, क्योंकि हम सब लोगा किसी न किसी गांव से जुड़े हैं। आप देखिए कि वहां आज हॉस्पिटल्स की क्या हालत है, वहां हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स की क्या हालत है और किस प्रकार से हम अपने संसाधनों को बन्द करके रखते हैं, ताकि प्राइवेट डॉक्टर्स को फायदा मिले। अगर ऐसे लोग जो जानकार नहीं हैं, वे मरीज को infected injection देकर, ब्लड निकालकर, sink test के नाम पर ऐसी धाधंली मचा रहे हैं, तो यह हम सब के लिए एक गम्भीर विषय है। मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आप इसको निश्चित रूप से करेंगे। मैं जाते-जाते आपसे एक और बात कहना चाहूँगा। इसका संबंध इससे नहीं है, लेकिन फिर भी जब मुझे मौका मिला है तो मैं आपके सामने एक निवेदन करना चाहूँगा कि हमारा ''एम्स'' एक महत्वपूर्ण institution है, लेकिन वहां अभी तक गाउंसिल बॉडी नहीं बनी है। पहले एक जमाना था, जब प्रोफेसर पद पर नियुक्ति के लिए पूरी दुनिया से आवेदन आते थे और साल भर में दो-ढाई सौ प्रोफेसर्स बनते थे, लेकिन आज हम वहां पर उनको सिर्फ प्रमोट कर रहे हैं। मैं आपके ध्यान में कम से कम यह बात लाना चाहता हूँ कि पहले यहां तक होता था कि हमारे प्रधान मंत्री अमेरिका और इंग्लैंड में फोन करते थे कि आप यहां पर आइए और काम कीजिए। आज हमारे देश में हालत यह है कि वे लोग उस competition में हैं ही नहीं। हम केवल उन्हें प्रमोट करते जा रहे हैं। इसलिए मेरा एक बार फिर से आप से नम्र निवेदन है कि कृपया आप इस ओर देखें और हमारे देश की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं विशेष रूप से गांव में रहने वाले छोटे और अनपढ़ आदमी की ओर ध्यान दें।

महोदय, इस विधेयक को विदड्रॉ करने से पहले मैं माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी से एक निवेदन और करना चाहता हूं कि आप मुझे यह एश्योरेंस दे दीजिए कि आप शीघ्र देश के स्वास्थ्य मंत्रियों की एक कॉफ्रेंस बुलाएंगे और कॉफ्रेंस में उन्हें इस संवेदनशील विषय को अधिक गंभीरता से लेकर कानून बनाने के लिए कहेंगे।

महोदय, मैं अपने विधेयक को विदड्रॉ करता हूं।

The Bill was, by leave, withdrawn.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY): The next Bill is the Andhra Pradesh Reorganisation (Amendment) Bill, 2015. Dr. K. V. P. Ramachandra Rao.

DR. K.V.P. RAMACHANDRA RAO: Thank you very much, Sir.

श्री शंकरभाई एन. वेगड़ (गुजरात): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, सदन में quorum नहीं है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY): Have your seat. If quorum is there, then your Bill will be taken up.

Hon. Members, since there is no quorum, the House stands adjourned till 1.30 p.m. on Monday, the 29th February, 2016.

The House then adjourned at forty minutes past four of the clock till thirty minutes past one of the clock on Monday, the 29th February, 2016.